न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 43/2020

कृपाशंकर शाह पुत्र दामोदर प्रसाद शाह, निवासी रामलीला मैदान, गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 13.08.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 17.07.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 43/2020 पर दिनांक 17.07.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /726—727 दिनांक 20.07.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी ने पत्रांक पाठक/सू0अ0/2020/250 दिनांक 05.08.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक को इस कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0/2020/206 दिनांक 29.06.2020 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक पाठक/सू0अ0/2020/250 दिनांक 05.08.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक को उनके कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0/2020/206 दिनांक 29.06.2020 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 13.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुंझुनू

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 43/2020

कृपाशंकर शाह पुत्र दामोदर प्रसाद शाह, निवासी रामलीला मैदान, गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 13.08.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 17.07.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 43/2020 पर दिनांक 17.07.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020/726–727 दिनांक 20.07.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी ने पत्रांक पाठक/सू0अ0/2020/250 दिनांक 05.08.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक को इस कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0/2020/206 दिनांक 29.06.2020 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तंहसीलदार) उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक पाठक/सू0अ0/2020/250 दिनांक 05.08.2020 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक को उनके कार्यालय के पत्र कमांक सू0अ0अ0/2020/206 दिनांक 29.06.2020 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 13.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू